


फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_  
 किस्य मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
------------------------	---	---

23.7.24 वकील वारीगत उपाधित पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवर्तित की तलबी हेतु समस्त तलवाग प्रस्तुत करके के लिये काफी समय से वकील वारी को कई अवसर दिये जा चुके हैं। इतने अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना अभी ओर से प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने की इच्छा नहीं करती है। जबकि प्रचालित नियमों के अन्तर्गत वाद को सिद्ध करे एवं नियमावली अर्थात् प्रक्रियाओं की पूर्ति दिये जाने का पूर्ण दायित्व आवकी को ही रहता है। ऐसी स्थिति के सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्टर 9 Rules 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण गैर कम्प्लायन्स / अदमतकमील में यह प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल सेक्रेट दाखिल दफतर है।

  
 न्यायिक कलक्टर मुख्यालय  
 धौलपुर (राज.)